न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 06/2015

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1 रताराम पुत्र दौलाराम जाति जणवा चौधरी निवासी सादलवा तहसील बाली जिला पाली		1 नेका पुत्र भलाजी चौधरी निवासी सादलवा तहसील बाली 2 सरपंच ग्राम पंचायत भीटवाडा तहसील बाली 3 सरपंच ग्राम पंचायत कोट बालियान तहसील बाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. श्री शंकरलाल गहलोत, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्रीकृष्णदास, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांक 07.03.2017

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, भीटवाडा द्वारा मिसल संख्या 10/1985–1986, संकल्प संख्या 2 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 59 दिनांक 30.07.1985 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा जरिये पत्र क्रमांक/एस. पी.1 दिनांक 13.06.2015 के जरिये रेकर्ड प्रस्तुत किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी ग्राम सादलवा पंचायत समिति बाली का मूल निवासी है तथा जन्म से ग्राम सादलवा में निवास करता है। ग्राम सादलवा के खसरा नम्बर 234/126 रकबा 0.2400 हैक्टेयर भूमि पर प्रार्थी का 20 वर्षो से कब्जा काश्त है। जिसके कारण प्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही भी चली है। अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 05.05.1985 को ग्राम पंचायत भीटवाडा के समक्ष अपने पुश्तैनी कब्जासुदा 30 बाई 70 वर्ग फुट भूमि का पट्टा बनाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा 2.50 रूपये जमा करवाये, जबकि नियमों के अनुसार मात्र 2.00 रूपये की राशि जमा होती है। सरपंच द्वारा नियमों के विपरित जाकर 2.50 रूपये जमा किये गये है, जो विधि विरूद्ध है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आवेदन में 30 बाई 70 वर्ग फुट भूमि का पट्टा चाहा है, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा जो पट्टा जारी किया गया 50 बाई 75 वर्ग फुट का जारी किया गया। जब अप्रार्थी संख्या 1 का 75 बाई 50 वर्ग फुट भूमि पर कब्जा ही नही था, तो मौका निरीक्षण कमेठी द्वारा किस भूमि का मौका निरीक्षण किया गया, यह स्पष्ट नही है, उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही बन्द कमरे में बैठ कर की गई है। इसके अतिरिक्त कमेटी के सदस्यों के नामों में भी कांट छांट की गई है। आपत्ति आमन्त्रित करने हेतु जो नोटिस जारी किया गया है, वह किस दिनांक को जारी किया गया तथा किन व्यक्तियों के समक्ष, किस सहजदृश्य स्थान पर चस्पा किया गया, कहीं भी अंकित नही है। अप्रार्थी संख्या 1 ने

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अपने आवेदन में मात्र पुराना कब्जा होना बताया, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कब्जे को 25 वर्ष पुराना मानते हुए सम्पूर्ण कार्यवाही की है, जबकि 25 वर्ष पुराना कब्जा का कोई रेकर्ड पत्रावली पर नही है। ग्राम पंचायत द्वारा जिस भूमि का पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी किया गया है, वह आबादी भूमि न होकर राजस्व भूमि है, जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त है तथा प्रार्थी के नाम राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रतिवर्ष कार्यवाही होती है। इस प्रकार उक्त भूमि पर ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने की अधिकारिता ही नही थी, ग्राम पंचायत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर पट्टा जारी किया गया है। अतः निगरानी स्वीकार करावे एवं जैर निगरानी आज्ञा व उसकी पालना में जारी पट्टा निरस्त करावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने लिखित बहस प्रस्तुत की, जिसमें कथन किया कि प्रार्थी ने निगरानी के पैरा संख्या 2 में कृषि भूमि खसरा नम्बर 324/126 रकबा 0.24 हैक्टेयर किस्म बारानी 3 पर 20 वर्षो से काबिज काश्त होना बताया, जबकि अप्रार्थी नेकाराम को ग्राम पंचायत भीटवाडा द्वारा ग्राम सादलवा की आबादी भमि का पट्टा संख्या 59 दिनांक 18.08.1985 को प्रदान किया गया है। प्रार्थी ने निगरानी के साथ ग्राम सादलवा की आबादी भूमि का पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया हो, जो लम्बित है अथवा खारिज कर दिया गया हो, ऐसा कोई सबूत निगरानी के साथ संलग्न नही किया है। प्रार्थी ग्राम सादलवा की कृषि भूमि पर गत बीस वर्षो से काबिज रहने से केवल मात्र अतिक्रमी है, ऐसे व्यक्ति को आबादी भूमि का हितबद्ध व्यक्ति स्वीकार नही किया जा सका है। प्रार्थी ने उक्त निगरानी में अप्रार्थी संख्या 2 के संकल्प संख्या 2 दिनांक 30.07.1985 को निरस्त कराने हेतु अनुतोष चाहा है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में निगरानी प्रस्तुत करने हेतु अवधि निर्धारित नही है, किन्तु उक्त अधिनियम में परिसीमा अधिनियम 1963 को लागू करने का निषेधात्मक प्रावधान नही दिया गया है। इस कारण लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 113 लागू होता है, जो निगरानी हेतु अथवा जहां अवधि निर्धारित नही हो, उसमें तीन वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है। अतः यह निगरानी अवधि बाधित है। अतः निगरानी खारिज की जावे। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने इन कथनों के समर्थन में न्यायिक सिद्धान्त आर0आर0डी0 1996 पेज 170 आनन्दीलाल बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त पेश किया।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत रेकर्ड का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्त का ससम्मना अवलोकन किया। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जो न्यायिक सिद्धान्त प्रस्तुत किया है, उसके तथ्य प्रकरणाभिन्न होने से हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नही होते है। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, भीटवाडा द्वारा मिसल संख्या 10/1985–1986, संकल्प संख्या 2 दिनांक 30.07.1975 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 59 दिनांक 18.08.1985 के विरूद्ध पेश की गई है। वकील प्रार्थी का कथन है कि जैर निगरानी पट्टा राजस्व भूमि में जारी करना बताया है, इसके विपरित वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा आबादी भूमि में जारी किया गया है, जो खसरा नम्बर 126/1 में जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 05.05.1985 को ग्राम पंचायत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर 35x70 वर्गफुट भूमि का पट्टा जारी कराने का निवेदन किया। जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा नक्शा शुल्क जमा करते हुए पत्रावली कायम की गई तथा सचिव को नक्शा बनाने

अति. जिला कलेक्टर, पाली

हेतु निर्देश दिये। सचिव द्वारा जो नक्शा कायम किया गया, वह 50x75 वर्गफुट का तैयार किया गया, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपना कब्जा 35x70 वर्गफुट पर होना बताया था। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कब्जासुदा भूमि से अधिक भूमि का नक्शा तैयार किया गया, जो विधि विरूद्ध है। दिनांक 30.05.1985 को तीन वार्ड पंचो की कमेटी नियुक्त कर मौका निरीक्षण के आदेशित किया। उक्त कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट में भूमि का क्षैत्रफल 3750 वर्ग फीट होना बताया, जो 50x75 वर्गफुट के अनुसार है। दिनांक 15.06.1985 को कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आपत्ति आमन्त्रित करने हेतु नोटिस जारी किया गया। इसके पश्चात दिनांक 30.07.1985 को प्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी करने का निर्णय पारित किया गया।

हस्तगत प्रकरण में प्रथमतः तो अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें अपना कब्जा 35x70 वर्गफुट पर होना बताया, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा 50x75 वर्गफुट भूमि पर स्वतः कब्जा मानते हुए सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाई गई एवं 50x75 वर्गफुट भूमि का ही पट्टा जारी किया गया। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायत अधिनियम 1961 के नियम 266 के तहत निजी बातचीत द्वारा आबादी भूमि का हस्तान्तरण करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1961 की धारा 266 (घ) के अनुसार आबादी भूमि पर 20 वर्ष अथवा अधिक, परन्तु 40 वर्ष से कम का कब्जा है, वहां विद्यमान बाजार दर का एक तिहाई भाग एवं जहां कब्जा 40 वर्ष से अधिक का है, वहां विद्यमान बाजार दर का छठा भाग प्रभारित किया जाना आज्ञापक है। हस्तगत प्रकरण में तत्समय विद्यमान बाजार दर का कहीं भी उल्लेख नही है। इसके अतिरिक्त आवेदित क्षैत्रफल से अधिक क्षैत्रफल का पट्टा जारी करने का भी कोई स्पष्ट प्रमाण पत्रावली पर मौजूद नही है। इससे यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायत अधिनियम 1961 के नियम 255 से नियम 268 में विहित प्रक्रिया की सम्पूर्ण पालना नही करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध प्रतीत होने से कायम रखने योग्य नही है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है एवं ग्राम पंचायत, भीटवाडा द्वारा मिसल संख्या 10/1985–1986, संकल्प संख्या 2 दिनांक 30.07.1975 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 59 दिनांक 18.08.1985 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण ग्राम पंचायत भीटवाडा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान को साक्ष्य, सुनवाई का अवसर देकर राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 06.03.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली